भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *384
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
29 श्रावण, 1947 (शक)

डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में संशोधन

***384. श्री टी. एम. सेल्वागणपति :**

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 और इसके मसौदा नियमों से सूचना का अधिकार कमजोर हो जाएगा;

(ख) क्या उक्त अधिनियम द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ञ) को कमजोर किए जाने का विरोध किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 2023 के डेटा गोपनीयता कानून में किए गए संशोधन से सूचनाग्राही के लिए अमान्य सूचना का दायरा बहुत बढ़ जाएगा;

(घ) क्या अनेक कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार आरटीआई अधिनियम में संशोधन से भारत के पारदर्शिता ढांचे में बड़ी कमी आएगी; और

(ङ) क्या सरकार ने मीडिया और नागरिक समाज के साथ कोई चर्चा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(ङ):** एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

'डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में संशोधन' के संबंध में दिनांक 20.08.2025 को लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *384 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

****

(क) से **(ङ):** डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) में डिजिटल वैयक्तिक डाटा को इस तरह से संशाधित करने का प्रावधान है कि व्यक्ति के अपने वैयक्तिक डाटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे वैयक्तिक डाटा को संसाधित करने की आवश्यकता, दोनों को मान्यता मिल सके।

डीपीडीपी अधिनियम एक व्यापक और समग्र सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के बाद अधिनियमित किया गया, जिसके दौरान डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2022 (डीपीडीपी विधेयक) पर 22,600 से अधिक सुझाव/टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। इन सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, डीपीडीपी विधेयक संसद में पेश किया गया और बाद में डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के रूप में अधिनियमित किया गया।

डीपीडीपी अधिनियम के माध्यम से आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) में संशोधन, निजता के मौलिक अधिकार, जैसा कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, को सूचना के अधिकार के साथ संतुलित करता है। यह संशोधन उचित प्रतिबंधों पर स्थापित न्यायिक तर्क के अनुरूप है, मौजूदा न्यायशास्त्र को संहिताबद्ध करता है और कानूनों के बीच संभावित टकराव से बचने में मदद करता है।

इसके अलावा, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) के तहत, कोई लोक प्राधिकारी सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि प्रकटीकरण में जनहित से संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान की भरपाई होती हो। इस धारा को इस प्रकार पढ़ा जाए:

"आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19वां) में किसी भी प्रावधान या उप-धारा (1) के अनुसार अनुमेय किसी भी अपवादों के बावजूद, कोई लोक प्राधिकारी सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि प्रकटीकरण में जनहित से संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान की भरपाई होती हो।"

उक्त संशोधन से वैयक्तिक जानकारी का प्रकटीकरण प्रतिबंधित नहीं होता है; बल्कि, इससे व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आरटीआई अधिनियम के तहत पारदर्शिता ढाँचा और डीपीडीपी अधिनियम के तहत गोपनीयता ढाँचा, पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, सामंजस्यपूर्ण रूप से अस्तित्व में बने रहें।

अधिनियम की तरह, सरकार ने नियमों के लिए भी व्यापक परामर्श किया है जिसमें विभिन्न मीडिया संगठनों के साथ चर्चा भी शामिल है।

****